संख्या:-09/2019/10आ0/23-5-19-50(66)ईजी/14टीसी

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 04 फरवरी, 2019**

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजभवन के मुख्य भवन स्थित प्रज्ञा मीटिंग हाल के विस्तारीकरण के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ के निम्नांकित तालिका में उल्लिखित पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजभवन के मुख्य भवन स्थित प्रज्ञा मीटिंग हाल के विस्तारीकरण के कार्य हेतु निम्नांकित तालिकानुसार प्राप्त आगणन कुल लागत रू0 49.15 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष **रू0 17.19 लाख (रू0 सत्रह लाख उन्नीस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता(भवन) का पत्रांक व दिनांक	जनपद का नाम	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
					(धनराशि रू0 लाख में)
1	660बीजीबी/109बीजीबी/राज भवन (भारित)/2018-19, दि0 20.09.18	लखनऊ	राजभवन के मुख्य भवन स्थित प्रज्ञा मीटिंग हाल के विस्तारीकरण का कार्य।	49.15	17.19
		योग :-		**49.15**	**17.19**

1- प्रश्नगत कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो जाय।

4- प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत की निर्गत की जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी0 एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

7- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

8- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

9- उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जायेगा।

10- प्रायोजनाओं में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/अधियन्ता अभियन्ता का होगा।

.../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

12- लोक निर्माण विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी तथा प्रस्तावित आगणन की उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

13- निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति जारी की जायेगी।

14- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां यथा पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

17- अनुमोदित कार्य की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर शासन का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

18- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-14/2017/552/18-2-2017-97(ल0 उ0)/2016, दिनांक 29.08.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-20-राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-यू0ओ0-ई-8-326/दस-2019, दि0 04.02.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या:-09/2019/10आ0(1)ईजी/23-5-2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
4- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
6- अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1(सि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
9- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-8
11- लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नीरजा सक्सेना)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।